विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
30.	
(क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-इटावा में ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं ?	(क) जी, नहीं।
(ख) यदि हॉं, तो महेवा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव कब से लम्बित है ?	(ख) नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 के अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या, मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) होनी चाहिए। जिलाधिकारी इटावा के पत्र दिनांक 19.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत महेवा के समीपवर्ती ग्रामों-बहेड़ा, उझियानी, आनेपुर, मुकुटपुर को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या-16205 मात्र है, जो निर्धारित मानक से कम है। अतः ग्राम पंचायत महेवा को नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।
(ग) महेवा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर उसे नगर पंचायत बनायेंगे ?	(ग) उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि हॉं, तो कब तक ?	(घ) उपरोक्तानुसार।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों ?''	(ड़) उपरोक्तानुसार।

ए. के. शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।